इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक20.03.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अवैध तमंचे से फायर कर हत्या का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 8,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना सैफई व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते अवैध तमंचे से फायर कर हत्या का प्रयास करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 8,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 13.05.20217 को वादी राजवीर सिंह पुत्र रमेश चन्द्र निवासी ग्राम सैफई थाना सैफई जनपद इटावा द्वारा थाना सैफई पर विपक्षी राजू शाक्य पुत्र सीताराम शाक्य द्वारा वादी के पिता पर अवैध तमंचे के साथ फायर करने जिससे वादी के पिता का गंभीर रूप से घायल हो जाने के संबंध में तहरीरी सूचना दी गयी तहरीर के आधार पर थाना सैफई पर **मु0अ0सं0 120/2017 धारा 307/449 भादवि व मु0अ0सं0 122/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 अवधेश कुमार द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त राजू शाक्य पुत्र सीताराम शाक्य निवासी ग्राम सैफई थाना सैफई जनपद इटावा के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना सैफई पुलिस टीम, पैरोकार का0 गुलाब सिंह एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री संजीव चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोगों से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 20.03.2024 को अन्तर्गत धारा 307/449 भादवि व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में मा0 न्यायालय ADJ-10 स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट जनपद इटावा द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 8,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **राजू शाक्य पुत्र सीताराम शाक्य निवासी ग्राम सैफई थाना सैफई जनपद इटावा।**